

# न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 37 / 2022 FSSA

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री रवि सैन पुत्र श्री प्रताप सैन विक्रेता

एफबीओ मैसर्स:- हनुमान डेयरी, खाकीपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा ।

2. श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री छुट्टन लाल स्वामी मालिक

एफबीओ मैसर्स:- हनुमान डेयरी, खाकीपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा ।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपटित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित ।

: अप्रार्थी अभियुक्त बहस के दौरान अनुपस्थित ।

—: आदेश :-

दिनांक:- 12.07.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहे थे। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/ 440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया था तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया था।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 11.07.2022 को दोपहर बाद 01:30 बजे मैसर्स:- हनुमान डेयरी, खाकीपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय विक्रेता श्री रवि सैन पुत्र श्री प्रताप सैन उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त दुकान का विक्रेता होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक टब में करीबन 100 किग्रा पनीर आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर इसमें से नमूने की जांच हेतु 1 किग्रा पनीर खरीदा। जिसे विक्रेता ने एक साफ सूखी एवं खाली स्टील की प्लेट में तौलकर दिया। जिसकी कीमत 280 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा पनीर को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतलों में डालकर प्रत्येक बोतल में 20-20 बून्द फार्मलीन की डालकर बोतलों को अलग-अलग ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी. ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग-अलग एक खाकी कागज में लपेटकर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.-3025 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार-चार जगह से चपड़ी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ(विक्रेता) गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ. बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च. श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 12.07.2022 को खाद्य विश्लेषक राज. अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 12.07.2022 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 12.07.2022 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ पनीर के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. /568/एक्ट/2022/568 दिनांक 22.07.2022 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। नमूना सबस्टैण्डर्ड पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त बहस के दौरान उपस्थित नहीं हुआ और ना ही जवाब प्रस्तुत किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./568/एक्ट/2022/568 दिनांक 22.07.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पनीर के नमूने में फैट की मात्रा सिर्फ 28.14 प्रतिशत ही पाई गई है। जो कि कम से कम 50 प्रतिशत होनी चाहिये थी। फैट की मात्रा तय मानको से कम पाये जाने के कारण पनीर का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा उक्त सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है। अतः अधिनियम की धारा 51 में वर्णित प्रावधानो के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./568/एक्ट/2022/568 दिनांक 22.07.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना सबस्टैण्डर्ड स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने पनीर सबस्टैण्डर्ड का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री रवि सैन पुत्र श्री प्रताप सैन विक्रेता एफबीओ मैसर्स:-हनुमान डेयरी, खाकीपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा एवं अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री छुट्टन लाल स्वामी मालिक मैसर्स:-हनुमान डेयरी, खाकीपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा पर 10000/- ( अक्षरे दस हजार रुपये ) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 12.07.2023 के एक माह के अन्दर-अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



क्रमांक /FSSA/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री रवि सैन पुत्र श्री प्रताप सैन विक्रेता  
एफबीओ मैसर्स:- हनुमान डेयरी, खाकीपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री छुट्टन लाल स्वामी मालिक  
एफबीओ मैसर्स:- हनुमान डेयरी, खाकीपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

( सुरेश कुमार )

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

दिनांक:- .07.2023

( सुरेश कुमार )

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा